न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 02/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री राहुल हरवानी पुत्र श्री भगवानदास हरवानी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स पार्वती ऑयल मिल्स, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अजमेर
2. श्री भगवानदास हरवानी पुत्र श्री रामचन्द्र हरवानी , मैसर्स पार्वती आयॅल मिल, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, माखुपुरा, अजमेर।
3. मैसर्स पा़र्वती आयॅल मिल, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, माखुपुरा, अजमेर।

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

–: आदेश :–

दिनांक– 24.11.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा दिया गया द्वितीय अपील हेतु आवेदन, द्वितीय अपील की जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.05.2024 को 03:00 पीएम पर मैसर्स पार्वती ऑयल मिल, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट माखुपुरा पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री राहुल हरवानी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2024 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय 15 किलोग्राम के 46 टिन पैक डबल

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

फिल्टर्ड मूंगफली तेल आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 1600 ग्राम डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल 256/– रूपयें श्री राहुल हरवानी को नगद देकर गवाह श्री केसरी नन्दन शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री राहुल हरवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल को बराबर–बराबर मात्रा में चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सागने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4360 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल का नमूना लेने के बाद मौके पर 46 टिन (45 X 15 किलोग्राम तथा 1 X 13 किलो 400 ग्राम) अभिगृहित कर नियमानुसार विक्रेता की अभिरक्षा में सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/4010 दिनांक 09.07.2024 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/684/एक्ट/2024/704 दिंनांक 10.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय जाँच हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क सहित अपील प्रस्तुत करने पर नमूने का द्वितीय भाग जाँच हेतु रैफरल लेबोरेटरी, मैसूरू को भेजा गया। रैफरल लेबारेटरी मैसूरू से प्राप्त जाँच रिपोर्ट क्रमांक 991एफ/एफएसएसए/2024 दिनांक 12.09.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अतुल शर्मा ने यूटी प्रस्तुत की परन्तु उनके द्वारा वकालतनामा एवं जबाव प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

हमने पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न खाद्य विश्लेषक अजमेर एवं रैफरल लेबोरेटरी, मैसूरू की जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल में BR Reading, Saponification value, Iodine value, Unsaponifiable Matter, Peroxide Value निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फूड प्रोडक्टस स्टेण्डर्डस एण्ड फूड एडिटिव) मानक 2011 के अनुसार नहीं

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. कुल **10,000/– (दस हजार)** शास्ति आरोपित की जाती है। न्यायहित में पूर्व में अधिग्रहित किये गये डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल के 46 टिन (45 X 15 किलोग्राम तथा 1 X 13 किलो 400 ग्राम) को अधिग्रहण से छोड़ा जाकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभिग्रहित किये गये डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार निस्तारण किया जाकर, की गयी कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावे।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 24.11.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री राहुल हरवानी पुत्र श्री भगवानदास हरवानी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स पार्वती ऑयल मिल्स, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अजमेर
5. श्री भगवानदास हरवानी पुत्र श्री रामचन्द्र हरवानी , मैसर्स पार्वती आर्यल मिल, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, माखुपुरा, अजमेर।
6. मैसर्स पार्वती आर्यल मिल, ई–1, ई–2, माखुपुरा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, माखुपुरा, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर